पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नामित सदस्य श्रीप्रकाश सिंह का पद रिक्त घोषित किया

लखनऊः 06 अक्टूबर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नामित सदस्य श्री श्रीप्रकाश सिंह के समय से शपथ न लेने के कारण उनका पद रिक्त घोषित किया है तथा बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 31 जुलाई, 2016 को समाप्त होने के कारण रिक्त दोनों पदों पर शीघ्रता से नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को कहा है।

ज्ञातव्य है कि श्री श्रीप्रकाश सिंह द्वारा 14 जुलाई, 2016 को उपस्थित होते हुए भी 'अपरिहार्य कारणों' से शपथ न लेने से सदस्य का एक पद रिक्त चल रहा था तथा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को प्रेषित अपने पत्र में कहा है कि श्री श्रीप्रकाश सिंह की नियुक्ति 26 मई, 2016 को हुयी थी परन्तु तीन माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी उनके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण नहीं की गयी है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के नियम 8(2) के प्राविधानुसार ''कोई भी व्यक्ति, जो बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हो, अपनी नियुक्ति के तीन माह में उपनियम (1) के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाता है तो वह पद धारित नहीं करेगा और वह पद रिक्त माना जायेगा।'' श्री श्रीप्रकाश सिंह द्वारा 26 मई, 2016 को नियुक्त होने के पश्चात् तीन माह में शपथ ग्रहण नहीं की गयी है, अतएव उनका पद स्वतः रिक्त माना जायेगा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि श्री श्रीप्रकाश सिंह के स्थान पर किसी अन्य महानुभाव को सदस्य के रूप में तथा अध्यक्ष के पद हेतु भी किसी उपयुक्त महानुभाव को नियुक्त किये जाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा इससे पूर्व उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य पद की शपथ हेतु 29 जुलाई, 2016, 16 अगस्त, 2016 व 6 सितम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री को पत्र भेजे गये थे।

चन्द्रशेखर/ललित/राजभवन (375/13)